उत्तर प्रदेश शासन
उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय अनुभाग–1
संख्याः 1729 / 28–1–2009
लखनऊ :: दिनांक 06 जुलाई, 2009

अधिसूचना / संशोधन

Medical Hardship (चिकित्सकीय व्यथा) एवं Spouse Policy (दाम्पत्य नीति) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों / कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य एक–दूसरे राज्य में स्थानान्तरण के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या–194 / 28–1–2009, दिनांक 04 फरवरी, 2009 एवं सपठित संशोधित अधिसूचना संख्या–338 / 28–1–2009, दिनांक 06 मार्च, 2009 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:–

विद्यमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
1	2
प्रस्तर–1: Medical Hardship (चिकित्सकीय व्यथा) के अन्तर्गत राज्य परिवर्तन की सुविधाः– (अ) इस श्रेणी के अन्तर्गत केवल उन्ही प्रकरणों पर विचार किया जाएगा जिनकी अनन्तिम अन्तिम आवंटन सूची (T.F.A.L.) जारी हो चुकी हो परन्तु अन्तिम आवंटन सूची (F.A.L.) जारी नहीं हुई हो।	प्रस्तर–1: Medical Hardship (चिकित्सकीय व्यथा) के अन्तर्गत राज्य परिवर्तन की सुविधाः– (अ) इस श्रेणी के अन्तर्गत केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जाएगा जिनकी अनन्तिम अन्तिम आवंटन सूची (T.F.A.L.) जारी नहीं हुई हो। इसके अन्तर्गत उन कार्मिकों के प्रकरणों पर भी विचार किया जायेगा जो तत्कालीन पर्वतीय उप संवर्ग में कार्यरत थे।
प्रस्तर–1 (ज) : केवल पत्नी को ही यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह अपने प्रदेश में कार्यरत रहना चाहती है या अपने पति के तैनाती के प्रदेश में सेवा करने हेतु स्थानान्तरण चाहती है।	प्रस्तर–1 (ज) : पति–पत्नी के संयुक्त विकल्प के आधार पर इच्छित राज्य में स्थानान्तरण की कार्यवाही की जाएगी तथा दोनों पति–पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी।

आज्ञा से,

(आर0एम0 श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 1729/28–1–2009 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कक्ष संख्या 109, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।

5– उप सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।

6– पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, लखनऊ।

7– निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य परामर्शीय समिति, 3/7, एफ ब्लाक, सप्तम् तल, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

8– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

9– सचिव, राज्य पुनर्गठन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

10– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, कैम्प कार्यालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आगामी गजट में इसको प्रकाशित कराने तथा उसकी 1000 प्रतियां उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग को भी उपलब्ध कराने हेतु।

11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर. एम. श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।